कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन/फैक्स नं०-6432 - 232397, मो०-9431137795, ई-मेल : dfo-deoghar@gov.in

पत्रांक .... देवघर, दिनांक..........................

सेवा में,

महाप्रबंधक,
एस॰पी॰ माईन्स, चितरा।

विषय : देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत ई॰सी॰एल॰ की एस॰पी॰ माईन्स खुली खदान परियोजना हेतु कुल 113.94 हे॰ वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 348 दिनांक 08.08.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के द्वारा ई॰सी॰एल॰ की एस॰पी॰ माईन्स खुली खदान परियोजना हेतु कुल 113.94 हे॰ का वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव में सन्निहित वनभूमि के क्षेत्रफल के पार–सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1284 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी, भू–संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर को निदेशित किया गया है, साथ ही स्थलीय जाँच में आवश्यक सहयोग हेतु अपने अधिनस्थ किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है जो स्थलीय जाँच के क्रम में वन क्षेत्र पदाधिकारी, भू–संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का कार्यालय अभिलेख/मानचित्र आदि से मिलान किया गया है तथा प्राप्त प्रस्ताव में निम्नांकित त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हुई है :–

1. प्रस्ताव के साथ परियोजना का विस्तृत विवरणी नोट संलग्न नहीं है, जिसमें प्रभावित होने वाले ग्रामों, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों, रोजगार सृजन की विवरणी यथा अस्थायी रोजगार तथा स्थायी रोजगार आदि की विवरणी संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
2. स्वीकृत खनन योजना के साथ मानचित्र संलग्न नहीं है। स्वीकृत खनन योजना का मानचित्र समर्पित किया जाए, ताकि प्रतिवेदित हो सके कि स्वीकृत खनन योजना तथा प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है।
3. संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का के॰एम॰एल॰ फाईल जिसमें Land use pattern के अनुरूप यथा खनन क्षेत्र, ओ॰बी॰ डम्प आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, समर्पित किया जाए, ताकि किसी भी समय खनन हेतु प्रयोग किये गये भूमि का जाँच किया जा सके। पूर्व में भी संपूर्ण परियोजना क्षेत्र का Detailed KML File समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था जो अद्यतन अप्राप्त है।
4. ग्राम सभा का संकल्प/सहमति संलग्न नहीं है।
5. वृक्षों की संयुक्त गणना सूची संलग्न नहीं है।
6. परियोजना में सन्निहित जंगल झाड़ी एवं अन्य भूमि का उपायुक्त, देवघर के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण

संलग्न नहीं है।

7. Minimum use of Forest Land Certificate संलग्न नहीं है, संलग्न किया जाए।

8. अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली गैर–वनभूमि के संबंध में निम्नांकित अभिलेख संलग्न नहीं है :–

(क) मानचित्र।

(ख) जी॰ओ॰ रिफरेन्स मानचित्र।

(ग) उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत अतिक्रमण/अवभार मुक्त प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

(घ) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली गैर–वनभूमि के आलोक में विवरणी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित वन (संरक्षण) नियम, 2022 दिनांक 28.06.2022 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

9. पूर्व में स्वीकृत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (124.28 हे॰) की संक्षिप्त विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए।

10. वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की शर्त्त अधिरोपित किये जाने की स्थिति में प्रयोक्ता संस्थान द्वारा ससमय राशि के भुगतान तथा अनुपालन किये जाने के संबंध में वचनबद्धता पत्र समर्पित किया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में संशोधित प्रस्ताव 10 प्रतियों में समर्पित किया जाए, आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव की 08 मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जाती है। ज्ञात हो कि वन (संरक्षण) नियम, 2022 के तहत् नया दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना प्रयोक्ता संस्थान की बाध्यता होगी।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

ज्ञापांक 1285 दिनांक 20/9/22

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/22

का०/ [illegible]

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर